



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक-21-11-2024

पश्चिमी जोन/थाना पारा

- थाना पारा लखनऊ पुलिस द्वारा रिमाण्ड पर लिये गये अभियुक्तगण से हत्या के प्रयास में किये गये घटना में प्रयुक्त एक अदद बांका व एक अदद हथौड़ा बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.09.2024 को ग्राम चुन्नु खेड़ा निवासी पंकज यादव की हत्या का प्रयास करने वाले मु0अ0सं0 538/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/351(3)/117(2)/309(6)/109(1) BNS थाना पारा लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अभय विश्वकर्मा पुत्र रजनीश शर्मा निवासी 140/3 नाला फतेहगंज थाना- अमीनाबाद जनपद लखनऊ हाल पता मकान न0- 67/5 पुरानी काशीराम कालोनी, थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष 2. शंकर उर्फ शंकर गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश निवासी 82/3 पुरानी काशीराम कालोनी, थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्तगण की निशादेही पर हत्या के प्रयास में किये गये घटना में प्रयुक्त एक अदद बांका व एक अदद हथौड़ा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है।



अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अभय विश्वकर्मा पुत्र रजनीश शर्मा निवासी 140/3 नाला फतेहगंज थाना- अमीनाबाद जनपद लखनऊ हाल पता मकान न0- 67/5 पुरानी काशीराम कालोनी, थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष
2. शंकर उर्फ शंकर गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश निवासी 82/3 पुरानी काशीराम कालोनी, थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद बांका।
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद हथौड़ा।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक: 21.11.2024

दक्षिणी जोन/थाना सरोजनीनगर

- विद्युत केबल की चोरी करने वाले दो नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.09.24 को आवेदक श्री राजकुमार पुत्र श्री रामनरेश नि० 33/11 केवी न्यू उपकेन्द्र नादरगंज पावरहाउस लखनऊ ने थाना हाजा पर उपस्थित होकर तहरीर दी कि बिलाली मस्जिद के पास से एक ड्रम ABC केबिल चोरी हो गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर पर मु०अ०स० 371/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। तथा विवेचना उ०नि० श्री शिवराज सिंह को सुपुर्द की गयी। माल-मुल्जमान की तलाश पतारशी की जा रही थी कि दिनांक 20.11.2024 को थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 371/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित ABC विद्युत केबल की चोरी करने वाले दो नफर शातिर अभियुक्त 1. सुरेश कुमार कश्यप उर्फ करन कश्यप 2. रोहित सिंह पुत्र छोटे लाल को कानपुर रोड नादरगंज तिराहे के पास स्थित यातायात बूथ के पास से केबल की बिक्री के 4750/- रुपये समेत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों को निशादेहों पर चोरी की गयी केबल को कैथी नहर के पास जंगल से बरामद किया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता:-

- 01-सुरेश कुमार कश्यप उर्फ करन कश्यप पुत्र सुरेन्द्र कुमार कश्यप नि० सिविल लाइन्स थाना कोतवाली जनपद बलरामपुर हाल पता कमलेश सिंह के मकान में किराये पर निकट 108 सर्विस सेन्टर बिजनौर रोड थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष।
- 02-रोहित सिंह पुत्र छोटे लाल नि० मझोआ थाना कटरा बाजार जिला गोण्डा हाल पता नीरज यादव के मकान में किराये पर गौरव विहार कालोनी निकट शिवमन्दिर थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष

अनावरित अभियोग का विवरण:-

01-मु०अ०स०- 371/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरोजनीनगर, लखनऊ।

बरामदगी का विवरण –

- एक अदद केबिल का बण्डल का चोरी का।
- चोरी की गयी केबिल की बिक्री के 4750/- रुपये नगद।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री शिवराज सिंह, थाना सरोजनीनगर लखनऊ।
2. उ०नि० श्री विकास कुमार, थाना सरोजनीनगर लखनऊ।
3. हे०का० सर्वेश कुमार, थाना सरोजनीनगर लखनऊ।
4. का० अरुण कुमार, थाना सरोजनीनगर लखनऊ।
5. का० सतेन्द्र सिंह, थाना सरोजनीनगर लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक-21.11.2024

पूर्वी जोन/थाना पीजीआई

- मोबाइल चोरी करने वाला 01 शातिर चोर चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर आवेदक-राम औतार गुप्ता की तहरीरी सूचना बावत विपक्षी द्वारा वादी व वादी के सहकर्मी की मोबाइल फोन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ जिसके आधार पर दिनांक 26.10.2024 को मु0अ0स0 729/24 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री पवन कुमार द्वारा की जा रही थी जिसमें माल मुल्जिम की तलाश व मुखबिर खास सूचना पर गाँधी ग्राम कालोनी थाना पीजीआई से से 01 नफर अभियुक्त रवि राज पुत्र अजय उर्फ जाबर निवासी गांधी ग्राम वृदावन थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष को दिनांक 20.11.2024 को गिरफ्तार किया गया जिसकी निशानदेही पर वही पास मे बने मन्दिर के बगल ईटो की ढेर से चोरी गये 02 अदद मोबाइल जिसमे पहला फोन सैमसंग ए कम्पनी का जिसका रंग ब्लू , IEMI नं0-334324/78/93202111 व 336203/20/932021/2 ,दूसरा मोबाइल सैमसंग कम्पनी का जिसका रंग महरूम है जिसकी IEMI क्रमशः 356163213858257,359005413858255 बरामद कर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए विधिक कार्यवाही कि जा रही है



अभियुक्त का विवरण नाम व पता -

1. रवि राज पुत्र अजय उर्फ जाबर निवासी गांधी ग्राम वृदावन थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष

बरामद माल का विवरण -

02 अदद मोबाइल जिसमे पहला फोन सैमसंग ए कम्पनी का जिसका रंग ब्लू , IEMI नं0-334324/78/93202111 व 336203/20/932021/2 ,दूसरा मोबाइल सैमसंग कम्पनी का जिसका रंग महरूम है जिसकी IEMI क्रमशः 356163213858257,359005413858255

अभि0 रवि राज का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 729/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ अन्य मुकदमे की जानकारी अलग से की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 श्री रवि शंकर त्रिपाठी थाना पीजीआई लखनऊ।
2. उ0नि0 पवन कुमार, थाना पीजीआई लखनऊ।
3. उ0नि0 प्रभात बालियान, थाना पीजीआई लखनऊ।
4. उ0नि0 विकास सिंह, थाना पीजीआई लखनऊ।
5. का0 शिवम चौधरी , थाना पीजीआई लखनऊ।

